

कमांक:-प.6()आ.कृ./रसायन/जिप्सम/2022-23/2070-203

दिनांक 13-6-2022


प्रबंध निदेशक

राजस्थान राज्य माईन्स एण्ड मिनरल्स लि.,
04, मीरा मार्ग, उदयपुर।

विषय:- राज्य में जिप्सम आपूर्ति अनुबंध अवधि बढ़ाने के क्रम में।

प्रसंग:- विभाग एवं आरएसएमएमएल के मध्य सम्पन्न अनुबंध दिनांक 17.06.2021

उपरोक्त विषय में प्रासांगिक अनुबंध की अवधि आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 29 [2(1)] के तहत 03 माह (16.09.2022 तक) या नवीन अनुबंध जो भी पहले हो तक बढ़ाई जाती हैं।



(काना राम)
आयुक्त, कृषि

कमांक:-प.6()आ.कृ./रसायन/जिप्सम/2022-23/2070-203

दिनांक 13-6-2022

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट माईन्स एवं मिनरल्स लि, 04 मीरा मार्ग, उदयपुर 313004
5. अति. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनु./वि./आदान), कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक कृषि (आदान/आरकेवीवाई/एनएमओओपी/ज.उ.प्र./योजना), आयुक्तालय जयपुर।
8. हैड एण्ड इंचार्ज (जिप्सम), आरएसएमएमएल 02 गांधी नगर स्कीम, बीकानेर।
9. संयुक्त निदेशक कृषि (रसा.), जीपीआरटीएल, दुर्गापुरा, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0), खण्ड समस्त।
11. परियोजना निदेशक कृषि (वि.), सीएडी, कोटा।
12. उप निदेशक कृषि, आईजीएनपी, बीकानेर।
13. उप निदेशक कृषि (वि0), जिला परिषद समस्त अनुरोध है कि जिले हेतु चयनित सम्बन्धित जिप्सम परिवहन एवं वितरण कर्ता संस्था को जिले की जिप्सम मांग मै.रॉयल कैमिकल एण्ड फर्टिलाईजर ई-मेल royalchems@hotmail.com, राजफैड ई-मेल rajfed_agri.input@yahoo.com, rajfed@yahoo.com पर भिजवाते हुए उसकी प्रति ई-मेल jdagr.chem.agri@rajasthan.gov.in भिजावें।
14. ए.सी.पी., कृषि आयुक्तालय, जयपुर कृपया इसे विभागीय वेब साइट पर अपलोड करावें।
15. जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी, कोटा, बूंदी, सुल्तानपुर।
16. सहायक निदेशक कृषि (वि0), समस्त।


13-6-2022
(भीमा राम)
संयुक्त निदेशक कृषि (रसा.)